संख्या 94 /IX/2010/89/2009

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़
देहरादून।

परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 14/12 नवम्बर, 2010

विषय– मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं के अनुपालन में वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 24/IX/79/2009 दिनांक 12–8–2010 एवं शासनादेश संख्या 62/IX/2010/89/2009 दिनांक 10–11–2010 के क्रम में तथा आपके पत्र संख्या 441 नि0मु0/X/सी0एम0घो0/2010 दिनांक 10–11–2010, पत्र संख्या 442 नि0मु0/X/सी0एम0घो0/2010 दिनांक 10–11–2010, पत्र संख्या 443 नि0मु0/X/सी0एम0घो0/2010 दिनांक 10–11–2010, पत्र संख्या 444 नि0मु0/X/सी0एम0घो0/2010 दिनांक 10–11–2010, पत्र संख्या 445 नि0मु0/X/सी0एम0घो0/ 2010 दिनांक 10–11–2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई निम्नवत् घोषणाओं के अनुपालन हेतु निम्नवत विवरणानुसार प्रथम चरण में परियोजनाओं के प्रक्रियात्मक कार्यो के आगणनों की आंकलित धनराशि पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमोदित आगणन की धनराशि (लाख रू0 में)	स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)
1	हरबर्टपुर में बस अड्डे का निर्माण	4.52	0.66
2	गदरपुर नगर में बस स्टेशन की स्थापना।	173.13	170.61
3	सितारगंज में बस स्टैण्ड की स्वीकृति।	2.77	0.66
4	बागेश्वर में ₹5.00 करोड़ की अनुमानित लागत से रोड़वेज डिपो की स्थापना की जायेगी।	22.55	7.16
	योग–	202.97	179.09

(1) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल आफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

(2) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(3) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

क्रमशः...2...

(4) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(5) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(6) यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाय। द्वितीय चरण के कार्यो पर भी यथाशीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(7) कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त धनराशि कोषागार चैक के माध्यम से तत्काल प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम देहरादून को उपलब्ध करा दी जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 24 लेखाशीर्षक 5055–सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय–190–सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश–03–उत्तराखण्ड परिवहन निगम हेतु बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के लिए भुगतान के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 616/XXVii/(1)/2010 दिनांक 10 दिसम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(एस0 रामास्वामी)
सचिव।

संख्या 961/IX/2010/89/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– महालेखाकार (आडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेश सी–1/105 इन्दिरानगर, देहरादून।
3– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
4– मुख्य कोषाधिकारी देहरादून।
5– सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– आहरण वितरण अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
7– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
8– वित्त अनु.–2 ।
9– एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।